



2026:AHC:17136

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45892 सन् 2025

राजेश कुमार यादव

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: मनोज यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याची ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2 / आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ को पुनरीक्षण संख्या 150/एम, वाद संख्या 561/2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी20231500000561) (बेचू बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सदर मऊ एवं अन्य) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अन्तर्गत दायर उक्त पुनरीक्षण लम्बे समय से लम्बित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विषय को शीघ्रता से निर्णीत करेंगे।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों के प्रकाश में, प्रतिवादी संख्या 2 / आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पुनरीक्षण को उसके स्वयं के गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर, सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सक्रलैन